भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3577

(मंगलवार, 24 मार्च, 2026 /3 चैत्र, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

आईईपीएफ को हस्तांतरित किए गए अवितरित लाभांश और शेयर

3577. श्री केसरीदेवसिंह झालाः
श्री मिथलेश कुमारः
श्रीमती किरण चौधरीः
श्रीमती सीमा द्विवेदीः
श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः
श्रीमती माया नारोलियाः
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़ेः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में हस्तांतरित, दावा न किए गए लाभांशों और शेयरों की राशि का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान आईईपीएफ से अपनी निधि या शेयर वापस पाने वाले निवेशकों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या आईईपीएफ से प्रतिदायों का दावा करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है. और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित अदावाकृत लाभांश और शेयरों की राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

वर्ष	**वर्ष के दौरान आईईपीएफ में प्राप्त राशि (करोड़ रुपये में)**	**वर्ष के दौरान आईईपीएफ को अंतरित शेयरों की संख्या**
2020-21	505.67	12,97,92,080
2021-22	446.22	14,18,96,190
2022-23	452.26	16,16,64,998
2023-24	2522.69	21,50,71,799
2024-25	1134.58#	26,09,87,878#

#अलेखापरीक्षित

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान शेयरों या लाभांश की वापसी के लिए मंजूरी दिए गए आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है: -

वर्ष	**आवेदनों की संख्या जिनमें शेयरों या लाभांश की वापसी के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी**
2020-21	7262
2021-22	10472
2022-23	10989
2023-24	16985
2024-25	12749

(ग) और (घ):-अगस्त 2025 से से शुरू हुए एकीकृत पोर्टल शुभारंभ के साथ आईईपीएफ से रिफंड का दावा करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के ई-गवर्नेंस पोर्टल (एमसीए21), डिपॉजिटरी [नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) / सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)] और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) एक एकीकृत प्रणाली के तहत, जोड़कर पोर्टल निर्बाध डेटा विनिमय को सक्षम बनाता है और दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाता है। अक्टूबर 2025 में शुरू किए गए नए आईईपीएफ-5 और आईईपीएफ-5 [इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन रिपोर्ट (ईवीआर)] फॉर्म, स्थायी खाता संख्या (पीएएन) और डीमैट खाता सत्यापन के माध्यम से दावेदार के साख को सत्यापित करते हैं, जबकि शेयर विवरण डिपॉजिटरी के साथ पूर्व-सत्यापित होते हैं।
